न्यायालय तहसीलदार, गंगापुर सिटी (जिला– सवाई माधोपुर)

मु.नं. : 15/18 तारीख रजू 6.2.18 निर्णय दिनांक : 12-3-18

सरकार बनाम अब्दुल हफीज पुत्र अब्दुल गनी

:- निर्णय :-

पत्रावली पेश हुई । प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का मिर्जापुर एक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की है कि अब्दुल हफीज पुत्र अब्दुल ग जाति मुसलमान निवासी मिर्जापुर ने खसरा नं. 20 रकबा 0.03 किस्म गै0मु0पाल वाके ग्राम मिर्जा पर संवत् 2074 में अनाधिकृत रूप से गेहू काश्त कर कब्जा कर अतिचार किया है। पटवारी हल की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अतिक्रमी को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की ध 91 का नोटिस जारी व्यक्तिगत सुनवाई व सबूत पेश करने का विधिवत् रूप से समुचित अवसर दि गया।

गैरसायल ने शपथ पत्र पेश कर अतिचार से इंकार किया। प्रस्तुत जबाब पर भू अभिले निरीक्षक गंगापुर सिटी से टिप्पणी ली गई मुताबिक भू अभिलेख निरीक्षक अतिकमी ने अब भी गे काश्त कर अतिचार कर रखा है। इस प्रकार अतिकमी द्वारा झूठा शपथ पत्र पेश किया है।

उपस्थित पटवारी हल्का ने अतिक्रमण के संबंध में अपनी रिपोर्ट की रिकॉर्ड से ताईद की ए जमाबंदी का अवलोकन कराया। पटवारी हल्का ने अतिचारी के विरुद्ध कार्यवाही की इल्तजुआ की हमने पत्रावली का अवलोकन किया। गैरसायल का आराजी प्रश्नगत पर अतिचार प्रमाणित है।

अतः गैरसायल को आराजी मुतनाजा से बेदखल किया जाता है एवं इन पर लगान 0.35/– की 50 गुनी शास्ति 18/– आरोपित की जाती है। पटवारी हल्का व गिरदावर वृत्त अतिचारित कब्जे को नियमानुसार ध्वस्त कर नीलाम करें एवं पालना रिपोर्ट पृथक् से देवें। तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का से माँग कायमी करवाई जावे। गिरदावर वृत्त व पटवारी हल्का को पालनार्थ पृथक् से लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12-3-18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

तहसीलदार
गंगापुर सिटी

रजिस्टर'घ' के पेज संख्या ....
पर रुपये 50/– की कायमी वर्ष
2018–19 की गई।

तहसील राजस्व लेखाकार